रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939
No. 362] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशु पालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2017

सा.का.नि. 456(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 4 के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1985 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

2. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् नियमों में,--

(1) नियम 4 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3) परिषद् का सचिव नियमों के उपबंधों के अधीन परिषद् के निर्वाचन की एक बार सूचना जारी होने के पश्चात् निर्वाचन से संबंधित व्यय की मंजूरी देगा ।"

(2) नियम 16 में, (क) नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(8) अपने मत को अभिलिखित करने की वांछा रखने वाला प्रत्येक निर्वाचक संसूचना पत्र (प्ररूप 4) में दिए गए निदेशों के अनुसार घोषणा पत्र (प्ररूप 3) और मतदान पत्र (प्ररूप 2) भरने के पश्चात् मतदान पत्र लिफाफे में मतदान पत्र को संलग्न करेगा, उसे चिपकाएगा और पेस्टिंग के ऊपर अपने तिरछे हस्ताक्षर करेगा तथा उक्त लिफाफे को उस जिले, जिसमें निर्वाचक अवस्थित है, के राज्य पशुपालन विभाग के राजपत्रित अधिकारी से सम्यकत: सत्यापित घोषणा और राज्य पशु चिकित्सा परिषद् या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा जारी उसके विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण

प्रमाणपत्र की स्वत: सत्यापित प्रति के साथ उसे रिटर्निंग आफिसर को संबोधित बाहरी लिफाफे में डालेगा तथा उसे अपने नजदीकी डाकघर से केंद्रीय सरकार द्वारा संदेय लागत पर रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजेगा जिससे वह रिटर्निंग आफिसर के पास रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान के लिए नियत तारीख को समाप्त होने वाले नियत समय से पूर्व पहुंच जाए :

परंतु घोषणा प्ररूप को सत्यापित करने वाला राजपत्रित अधिकारी निर्वाचन में स्वयं अभ्यर्थी न हों ।"

(ख) उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(10) उपनियम (8 में विनिर्दिष्ट लिफाफे की प्राप्ति पर, जिसमें घोषणा पत्र और मतदान पेपर को अंतर्विष्ट करने वाला बंद लिफ़ाफ़ा है, रिटर्निंग आफिसर बाहरी लिफाफे पर उसकी प्राप्ति की तारीख और समय को पृष्ठांकित करेगा ।"

(3) नियम 18 के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) घोषणा पत्र पर निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं या राज्य के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है या नियम 16 के उपनियम (8) में यथा विनिर्दिष्ट डाक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है ।"

(4) प्ररूप 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 3

[नियम 16(2) देखें]

घोषणा पत्र

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (छ) के अधीन भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् का निर्वाचन :--

निर्वाचक का नाम ....

राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में संख्या ....

और भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर या उसके अनुपूरकों (वर्ष का वर्णन करें) जिसमें उसका नाम दर्शित होता है, में पृष्ठ संख्या ....

निर्वाचक की घोषणा

मैं .... (पूरा नाम और पदनाम यदि कोई हो) घोषणा करता हूं कि मैं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों के भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (छ) के अधीन निर्वाचकों द्वारा निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक हूं और मैंने इस निर्वाचन के लिए कोई अन्य मतदान पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ।

तारीख ....

स्थान ....

निर्वाचक के हस्ताक्षर ....

सत्यापित करने वाले राजपत्रित अधिकारी की घोषणा

मैं .... (पूरा नाम) .... (पदनाम) घोषणा करता हूं कि डा. .... (निर्वाचक का नाम और पदनाम, यदि कोई हों) ने मेरे समक्ष घोषणा प्ररूप पर हस्ताक्षर किए हैं ।

तारीख ....

स्थान ....

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

(5) प्ररूप 4 के पैरा 2 में प्रविष्टि (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(च) घोषणा पत्र पर निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं या स्थानीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है या नियम 16(8) में यथा विनिर्दिष्ट डाक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है ।"

[फा. सं. के-12052-7/1/2017-एलएच]

श्री मिहिर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2017

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by section 64 read with section 4 of Indian Veterinary Council Act Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indian Veterinary Council Rules, 1985 namely**:—**

2. In the Indian Veterinary Council Rules,—

(1) in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

" (3) The Secretary of the Council shall sanction election related expenditure once notification for election to the Council is issued under the provisions of rules."

(2) In rule 16, (a) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (8) Every elector desirous of recoding his or her votes shall, after filling up the declaration paper (Form III) and the Voting Paper (Form II) according to the direction given in the letter of intimation (Form IV), enclose the voting paper in the voting paper cover, stick up and put his or her cross signature over the pasting and insert the said cover along with the declaration paper duly attested by any gazetted officer of the state animal husbandry department located in the district where the elector is situated and a self attested copy of his or her valid registration certificate issued by the State Veterinary Council or Veterinary Council of India, in the outer envelope addressed to the Returning officer and send the same by registered or speed post from his or her nearest post office at the cost of the Central Government, so as to reach to the Returning officer not later than the appointed time for closure of the voting on the date fixed by Returning officer:

Provided that the gazetted officer attesting the declaration form is not a candidate himself for the election."

(b) for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(10) On receipt of the envelope specified in sub-rule (8), containing the declaration paper and closed cover containing the voting paper, the Retuning Officer shall endorse on the outer envelope the date and hour of its receipt."

(3) in rule rule 18, for clause (c) the following clause shall be substituted, namely:—

" (c) the declaration paper is not signed by the elector; or not attested by gazetted officer of state or not received through post as specified in sub-rule (8) of rule 16."

(5) for Form III, the following Form shall be substituted, namely:—

"Form III

(see rule 16 (2)

Declaration Paper

Election to the Veterinary Council of Indian under clause (g) of sub-section (3) of section 3 of the Indian Veterinary Council Act, 1984(52 of 1984):—

Elector's name…………………………………………….

Number on the State Veterinary Register………………………………….

And page number in the Indian Veterinary Practitioners Register……..

or its supplements (mentioning the year) in which his or her name appears. ---

Elector's declaration

I…………………………………(Name in full and designation if any) declare that I am an elector for the election of members to the Veterinary Council of India by the electorate under clause (g) of sub-section (3) of Section 3 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) and that I have submitted no other voting paper at this election.

Date…………………………..

Place………………………….

Signature of the elector…………………………………

Declaration by the attesting gazetted officer

I………………………………(Name in full)………………………………(designation) declare that Dr……………………………………………(Name of the elector and designation if any) has signed the declaration form in front of me.

Date…………………………..

Place………………………….

Signature of gazette officer…………………………………

Name……………………………………..

Designation……………………………………."

(6) In the Form IV, in para 2, for entries (f), the following shall be substituted, namely:—

"(f) The declaration is not signed by the elector; or not attested by the local gazetted officer or not received through post as specified in sub-rule (8) of rule 16(8).

[F. No. K-12052-7/1/2017-LH]

SHRI MIHIR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.14 13:41:59 +05'30'